न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर
इस्तगासा बनाम सरकार

15/7/2024

23/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०
पत्रावली ई-तहसील रिपोर्ट हेतु
दिनांक 20/1/25 को पेश हो

20/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित
तहसीलदार से रिपोर्ट पेश की गई जो
शामिल मिसल किया गया वकील वादी
की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन
किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु
दिनांक 23/1/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

23/1/25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पत्रावली
आदेश के लिए चालानशुदा है। पत्रावली के उपलब्ध
दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तथा
वकील वादी की बहस को सुना गया। किया गया
अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा
88 राज. काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया
जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखाया जाकर शामिल मिसल किया जाकर
निर्णय आदेश उद्घोषित किया गया।
पत्रावली को नियम अनुसार होकर बाद तलब
निकाल हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
7/2024	30/09/2024	23/01/2025

हरी नारायण सैनी पुत्र नारायण जाति माली निवासी ग्राम बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादी

बनाम

मेश्वर पुत्र महादेव

बूलाल पुत्र नारायण जाति माली निवासी ग्राम बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर 303109

जस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

पस्थित अभिभावक

ो किशन लाल :– वकील वादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय:–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री किशन लाल ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि वादी की वादग्रस्त खातेदारी भूमि खाता सं0 476 जिसका खसरा नम्बर 133 रकबा 1.6800है0, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.0500है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.7300है0, खाता सं0 477 जिसके खसरा नम्बर 159 रकबा 0.0900है0, खसरा नम्बर 161 र कबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 481 रकबा 2.0000है0, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.0600है0, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.6200है0, खसरा नम्बर 750 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 751 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 752 रकबा 3.6700है0, कुल 8 कुल रकबा 6.4900है0 ग्राम तन बूज पटवार हल्का बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो वादी की पैतृक खातेदारी भूमि है जिसमें वादी का सामलाती हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर वादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि वादी को अपने पिता से विरासत मे प्राप्त हुयी है तथा उक्त भूमि का नामा0 खोलते समय राजस्व कर्मचारियों ने वादी का नाम हरीप्रसाद पुत्र नारायण दर्ज कर दिया। अतः खाता सं. 476, 477 में वादी का नाम हरीप्रसाद पुत्र नारायण चल रहा है। जबकि वास्तविक में वादी का नाम हरी नारायण सैनी पुत्र नारायण सैनी है। व समस्त दस्तावेज पहचान–पत्र आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार में भी वादी का नाम हरीनारायण सैनी पुत्र नारायण सैनी है। अतः उक्त वर्णित आराजियात में वादी का हरिप्रसाद पुत्र नारायण के स्थान पर हरीनारायण सैनी पुत्र नारायण जाति माली निवासी ग्राम बूज घोषित किये जाने के आदेश किया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 स्वयं उपस्थित होकर सहमति पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी सं0 3 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल0आर0/24/7561 दिनांक 20.12.2024 को रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बूज में खसरा नम्र 133, 134 किता 2 कुल रकबा 1.73है0 व खसरा नम्बर 159, 161, 481, 482, 493, 750, 751, 752 किता 8 रकबा6.49है0 मे वादी का नाम हरिप्रसाद पिता नारायण जाति माली नि0 बूज रिकार्ड दर्ज है तथा खसरा नम्बर 752 को छोडकर केनरा बैंक शाखा बूज के रहन दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में वादी का नाम हरिनारायण सैनी पिता नारायण रिकार्ड दर्ज है। अतः वादी का नाम हरिप्रसाद पि0 नारायण के हरीनारायण सैनी पि0 नारायण जाति माली किया जाना अपेक्षित है। वकील वादी की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

अतः वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर ोलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बूज, पटवार हल्का बूज तहसील ारामगढ जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि के खाता सं0 476 के खसरा नम्बर 133, 134 किता 2 रकबा 1.73है0 व खाता सं0 477 के खसरा नम्बर 159, 161, 481, 482, 493, 750, 751, 752 ा 8 रकबा6.49है0 म के रिकार्ड में अंकित वादी का नाम हरिप्रसाद पुत्र नारायण के स्थान पर साद उर्फ हरीनारायण सैनी पुत्र नारायण का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया । तदनुसार डिक्री जारी ह्वें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल र होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 23.01.2024 को खुले न्यायालय मे या।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ